Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झालावाड़ में वाहन चालक व क्षेत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल रेन्ज झालावाड़ कार्यालय वन मण्डल उप वन संरक्षक, को रिश्वत राशि 15,000/— रूपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 04 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **फिरोज खान वाहन चालक व विक्रम सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल, रेन्ज झालावाड़** कार्यालय वन मण्डल उप वन संरक्षक, झालावाड़ को परिवादी से रिश्वत राशि **15,000/— रूपये** प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी को परिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2026 को शिकायत दी गई कि परिवादी टिम्बर ट्रेडिंग का कार्य करता है, किसानो से पेड़ खरीद कर ठेकेदार के माध्यम से कटिंग कराता है, फिर राजस्थान के विभिन्न जिलों में आरा मशीन वालों को, श्मसान वालों को कारपेन्टरों को व अन्यों को मांग के अनुसार भिजवाते है। हमारी लकड़ियां वाहनों में जब—जब भी लोड होकर जाती है, तो रास्ते में हमें झालावाड़ जिले की फोरेस्ट गश्ती दल टीम रोक लेती है तथा वाहन ड्राईवरों से मारपीट करते है तथा डरा धमका कर अवैध वूसली करते है। मासिक बंधी देने की कहते है एवं अवैध चोरी के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर परेशान करते है ।

परिवादी के शिकायत पर दिनांक 03.07.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण फिरोज खान वाहन चालक व विक्रम सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़ रेन्ज झालावाड़ कार्यालय वन मण्डल उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा परिवादी से लकड़ी के वाहनो को पास करने की एवज में प्रत्येक वाहन के 5,000/—रूपये के हिसाब से पांच वाहनों की लकड़ियां पास करने की एवज में 25,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा कहने पर 15,000/— रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुये।

रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर आज दिनांक 04. 07.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झालावाड़ चौकी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री साजिद खान** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपीगण फिरोज खान वाहन चालक व विक्रम सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी को परिवादी से रिश्वत राशि 15,000/— रूपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी फिरोज खान की पहनी हुई पेन्ट से बरामद की गई।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के निर्देशन में आरोपीगणों से पूछताछ तथा घर की तलाशी की कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **हैल्पलाईन नं. 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135—02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।